रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 173
No. 177] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23, 1935 [N.C.T.D. No. 173

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग
(कार्यालय उपायुक्त यातायात: पुलिस मुख्यालय)
आदेश
दिल्ली 14 नवम्बर, 2013

सं. 20/04/2003/होम (पुलिस-II)/9414.—क्योंकि "खाली स्थान, पीछे विद्युत पोल नं. 5, प्रगति विहार से लोधी रोड जाने वाली सड़क, नई दिल्ली पर एक सामान्य टैक्सी स्टैण्ड आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश संख्या 6345-6445/याता. सामा. शाखा, दिनांक 10-04-1980 द्वारा पांच टैक्सियों को खड़ी करने के लिए अधिसूचित किया गया था ।

और क्योंकि, संयुक्त निर्देशक एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी, इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), 6, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110 003 के पत्र संख्या 2 (13)/2001-इंजी., दिनांक 22-01-2010 द्वारा सूचना मिली कि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन की जगह पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से चलाया जा रहा है जिसके कारण इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन की चार दीवारी को मोड़ना

पड़ा और क्योंकि संयुक्त निर्देशक ने सूचित किया कि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैण्ड के संचालक श्री नाहर सिंह द्वारा एक सिविल याचिका संख्या 106/2009 - नाहर सिंह बनाम कार्यपालक अभियन्ता एवम् अन्य, दायर कि गई जो कि माननीय न्यायालय, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24-12-2010 उपरोक्त याचिका को व्यवस्थित/संतुष्ट/समझौता समझते/करार देते हुए खारिज कर दिया व आदेश दिया कि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैण्ड को बिना विधि का अनुपालन किये खाली नहीं करवाया जाए । और क्योंकि स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा जांच कराने पर पता चला कि कथित सामान्य टैक्सी स्टैण्ड लाला लाजपत राय मार्ग - जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मार्ग पर बने फुटपाथ के किनारे पर स्थित है जो कि इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन की चार दीवारी के साथ है जो कि टैक्सी स्टैण्ड के संचालक द्वारा फुटपाथ व रोड पर अवैध अतिक्रमण पाया गया जिस पर संचालक द्वारा डी.एल.वाई टैक्सियां व टूरिस्ट बसें खडी पाई गईं जो कि आम जनता व अन्य सड़क पर चलने वाले लोगों के रास्ते में रूकावट डाल रहा था और जो कि स्थानीय यातायात पुलिस ने उपरोक्त स्थान के फोटो भी खिचवाए जिसमें कि उपरोक्त टैक्सी स्टैण्ड पर प्राइवेट कारें और टूरिस्ट बसें खडी हुई दर्शायी गई हैं । जिनका निम्न रूप से चालान भी किया गया :—

क्र. सं.	वाहन संख्या	चालान सं.	धारा	दिनांक
1.	डीएल 1वाईबी 7487	67489	122/177 एम वी एक्ट	25-07-2010
2.	डीएल 1वाईए 6230	67488	122/177 एम वी एक्ट	25-07-2010
3.	डीएल 1वाईए 6168	67472	122/177 एम वी एक्ट	26-07-2010
4.	डीएल 1वाई 1564	863149	122/177 एम वी एक्ट	14-06-2010
5.	डीएल 1वाईबी 0934	863148	122/177 एम वी एक्ट	12-06-2010
6.	डीएल 1वाईए 6168	863147	122/177 एम वी एक्ट	12-06-2010
7.	डीएल 1पीए 1355	990705	122/177 एम वी एक्ट	16-06-2010
8.	डीएल 1पीबी 3278	990704	122/177 एम वी एक्ट	16-06-2010
9.	डीएल 1पीबी 8746	990702	122/177 एम वी एक्ट	14-06-2010
10.	डीएल 1पीएल 1104	990701	122/177 एम वी एक्ट	14-06-2010

और क्योंकि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैण्ड के संचालकों को संख्या 12786/प्रशा.शाखा/याता.(डी.ए.-III), दिनांक 16-08-2010 (स्थानीय यातायात पुलिस के जरिए) एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया व उचित समयावधि में लिखित जवाब मांगा गया जो कि संचालकों ने उपरोक्त संदर्भ में अपना लिखित जवाब भी दिया और जो कि संचालकों को उचित/योग्य अधिकारी द्वारा दिनांक 02-05-2011 को अपने समक्ष सुना गया जो कि संचालकों ने बताया कि उपरोक्त कारण बताओ नोटिस शिकायत के आधार पर जारी किया गया है लेकिन संचालक सामान्य टैक्सी स्टैण्ड पर निजि गाडियों और टूरिस्ट बसों को खड़ा करने के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाल पाए जिनका कि स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा चालान भी किया गया था और क्योंकि संचालकों द्वारा सामान्य टैक्सी स्टैण्ड की कायदे कानून का उल्लंघन करते पाया गया इसलिए उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैण्ड को निम्न कारणों से तुरन्त निरस्त करने की जरूरत है:-

1. सामान्य टैक्सी स्टैण्ड द्वारा अवैध रूप से इलैक्ट्रानिक्स निकेतन, भारत सरकार की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ पाया गया, व
2. सामान्य टैक्सी स्टैण्ड के संचालकों द्वारा उपरोक्त टैक्सी स्टैण्ड पर निजि गाड़ियों व टूरिस्ट बसों को खड़ा किया पाया गया जो कि नियम व कानून के विरूद्ध है ।

इसलिए अब मैं, रूपिन्दर कुमार, उपायुक्त पुलिस (यातायात), मुख्यालय, दिल्ली, दिल्ली कंट्रोल एण्ड व्हीक्युलर एण्ड अदर ट्रैफिक ऑन रोड एण्ड स्ट्रीट रेग्यूलेशन की धारा 3, सन् 1980 का उपयोग करते हुए सामान्य टैक्सी स्टैण्ड **"खाली स्थान, पीछे विद्युत पोल नं. 5, प्रगति विहार से लोधी रोड जाने वाली सड़क, नई दिल्ली"** जो कि संख्या 6345-6445/याता. सामा. शाखा, दिनांक 10-04-1980 द्वारा अधिसूचित किया गया था, की अधिसूचना को निरस्त करने का आदेश करता हूँ ।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

ये आदेश आम जनता के हित में सरकारी गजट में छापे जाएंगे और इसकी प्रति नोटिस बोर्ड पर एडिशनल डी.सी.पी. ट्रैफिक और सभी उपायुक्त पुलिस/पुलिस थानों, दिल्ली/नई दिल्ली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएंगी ।

मेरे हाथों द्वारा दिनांक 14-11-2013 को जारी किया गया ।

रूपिन्दर कुमार, उपायुक्त पुलिस, यातायात

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE TRAFFIC : HQ)

ORDER

Delhi, the 14th November, 2013

F. No. 20/04/2003/HP-II/9414.—Whereas a General Taxi Stand (GTS) for halting and parking of taxis (5 taxis), was in existence on the **"vacant land behind Electric Pole No. 05, on road leading to Pragati Vihar from Lodi Road, New Delhi"** which was notified *vide* Order No. 6345-6445/T.Genl. dated 10-04-1980, for the convenience of general public.

And whereas, Joint Director and Chief Security Officer, Electronic Niketan, Department of Information Technology, (Ministry of Communication and Information Technology), CGO Complex, New Delhi-110 003 *vide* their letter No. 2(13)/2001-Engg., dated 22-1-2010 had intimated that subject GTS was operating unauthorisedly by encroaching part of the land belonging to Electronics Niketan Building, 6, CGO Complex, Lodi Road. Due to illegal encroachment of the premises, the alignment of outer boundary wall of the building had to be modified. And whereas Joint Director had further intimated that Sh. Nahar Singh, operator of the subject GTS had filed a Civil Suit No. 106/09 - Nahar Singh Vs. Exe. Engg. & others, the Hon'ble learned Court, Saket Courts, New Delhi had disposed off the suit as settled/satisfied/compromised on 24-12-2010 directing therein that the defendents will not disposses the plaintiff from the suit property without following the due procedure as prescribed under law.

And whereas area traffic police had conducted a survey and found that the subject taxi stand was situated at the corner, on the footpath of Lala Lajpat Rai Marg—Jawaharlal Nehru Stadium Marg along the boundary wall of Electronic Niketan and whereas the operators were reported to have encroached upon the footpath and road by parking DLY taxis and tourist buses causing problem for pedestrians and other road users. And whereas area traffic police had taken photographs of the site of subject GTS in depicting a number of private cars/tourist buses parked at the GTS. And whereas following vehicles were found parked on the subject GTS unauthorisedly and whereas these private vehicles were also prosecuted in the following manner:—

Sl. No.	Vehicle No.	Challan No.	U/s.	Date
1.	DL 1YB 7487	67489	122/177 M.V. Act	25-07-2010
2.	DL 1Y A 6230	67488	122/177 M.V. Act	25-07-2010
3.	DL1YA 6168	67472	122/177 M.V. Act	26-07-2010
4.	DL1Y 1564	863149	122/177 M.V. Act	14-06-2010
5.	DL1YB 0934	863148	122/177 M.V. Act	12-06-2010

6.	DL1YA 6168	863147	122/177 M.V. Act	12-06-2010
7.	DL1PA 1355	990705	122/177 M.V. Act	16-06-2010
8.	DL1PB 3278	90704	122/177 M.V. Act	16-06-2010
9.	DL1PB 8746	990702	122/177 M.V. Act	14-06-2010
10.	DL1PL 1104	990701	122/177 M.V. Act	14-06-2010

And whereas the operators at the said GTS were called upon to show cause in this regard *vide* No. 12786/Admn. Branch/Traffic (DA-III), dated 16-8-2010 (through area traffic police) with the opportunity to submit their written reply to this office within the stipulated period. And whereas the operators of the subject GTS submitted their written reply in response to the said SCN. They were also heard in person by the competent authority on 02-5-2011. The operators had submitted that the show cause notice had been issued on the basis of complaint but they could not throw any light with regards to parking of private vehicles/tourist buses on the subject GTS which were also challaned by the area traffic police. And whereas the operators have violated the terms and conditions of General Taxi Stand and thus, the subject GTS is required to be de-notified immediately, in public interest, on the following grounds:

(1) The subject GTS is encroaching upon the land of Electronics Niketan, Government of India, and

(2) The operators used private vehicles/tourist buses on the subject GTS in violation of terms and conditions of the policy.

Now, therefore, I, Rupinder Kumar, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ) Delhi, in exercise of powers conferred upon me u/s 3 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Road and Street Regulation-1980 do hereby order that the taxi parking site notified at **"vacant land behind Electric Pole No. 05, on road leading to Pragati Vihar from Lodi Road, New Delhi"** *vide* Order No. 6345-6445/T. Genl., dated 10-04-1980, is de-notified in public interest.

This order shall come into force with immediate effect.

This order shall be published for information of the general public in the Official Gazette and by affixing a copy on the notice board of the Office of DCsP/Traffic and Distt. DCsP and Police Stations in Delhi/New Delhi.

Given under my hand and seal of office on the 14th day of November, 2013.

RUPINDER KUMAR, Dy. Commissioner of Police Traffic

कार्यालय आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 नवम्बर, 2013

सं. फा. 3(384)/नीति/वैट/2013/985–996.–अधिसूचना सं. फा. 7(420)/नीति/वैट/2011/1203–1213 दिनांक 11–02–2013 की निरन्तरता में, मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद 'अधिनियम' में संदर्भित) की धारा 49 और 70 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमवली, 2005 के नियम 42क के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फार्म एआर–1, जो कि उन व्यापारियों के लिए लागू हैं, जिनकी वार्षिक सकल बिक्री वर्ष 2011–12 और 2012–13 में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, निम्नलिखित रूप से स्पष्ट करता हूं:–

(i) जो व्यापारी 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक बिक्री होने की वजह से उपरोक्त फार्म दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं लेकिन जो व्यापारी केवल अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं में ही व्यापार करते हैं उनको यह फार्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे व्यापारियों की अन्य वस्तुओं से बिक्री, जो कि उनके व्यापार से किसी तरह संबंधित हो, यदि वार्षिक 5 लाख रुपये तक है, तब भी उपरोक्त फार्म दाखिल करने की छूट होगी ।

(ii) वह व्यापारी जो वस्तुओं का पूर्णतया भारत से बाहर निर्यात करते हैं उन्हें भी यह रिपोर्ट दाखिल करने की छूट है । ऐसे व्यापारियों की अन्य वस्तुओं से बिक्री, जो कि उनके व्यापार से किसी तरह संबंधित हो, जैसे डीईपीबी लाइसेंस, स्क्रैप आदि, यदि वार्षिक 5 लाख रुपये तक है, तब भी उपरोक्त फार्म दाखिल करने की छूट होगी ।

(iii) रिपोर्ट का भाग–7ए, वर्ष के दौरान अंतर्राज्यीय बिक्री/स्टॉक अंतरण के बदले में घोषणा प्रपत्र की सूचना के विषय में है । जो व्यापारी यह रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं । वे यह सूचना वर्ष 2012–13 के लिए, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन दाखिल की जाने वाली रिटर्न (फार्म–1) के ब्लॉक आर–10 में भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यापारियों को यह ब्लॉक, एआर–1 भरने से पहले ऑन लाइन दाखिल करना होगा ।

(iv) जिन व्यापारियों की वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान सकल बिक्री 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है वह व्यापारी वर्ष 2012–13 में फार्म एआर–1 दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं । तथापि, यदि वर्ष 2012–13 के दौरान सकल बिक्री एक करोड़ रुपये के बराबर या उससे कम है तो फार्म एआर–1 में फाइल की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट को दाखिल करने की छूट होगी ।

2. वर्ष 2012–13 के लिए फार्म एआर–1 में फाइल की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट, संबंधित वार्ड इंचार्ज को दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 तक जमा करवाना आवश्यक है ।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

OFFICE OF THE COMMISSIONER : DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
NOTIFICATION

Delhi, the 14th November, 2013

No. F. 3(384)/Policy/VAT/2013/985-996.—In continuation to Notification No. F. 7(420)/Policy/VAT/2011/1203-1213 dated 11-02-2013 regarding filing of Audit report by dealers having turnover of Rs.10 crores or more during 2011-12 or 2012-13 in Form AR-1, I, Prashant Goyal, Commissioner Value Added Tax, in exercise of the powers conferred on me by Sections 49 and 70 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as 'Act') read with rule 42A of Delhi Value Added Tax Rules, 2005 hereby clarify that –

(i) the dealers who are liable by virtue of having turnover of Rs.10 crores or more but dealing exclusively in commodities listed in First Schedule of the Act need not to file the said audit report. Such dealers shall even be exempted from filing the AR-1 report if the annual turnover of sale from items incidental to the business remains upto Rs.5 lakh in a year.

(ii) the dealers who are dealing exclusively in export of goods outside the country shall also be exempted from filing the report. Such dealers shall even be exempted from filing AR-1 report if annual sale turnover from items incidental to the business including DEPB licenses, Scrap etc., remains upto Rs. 5 lakh in a year.

(iii) the part-7A of the report envisages to file details of inter-state sale/stock transfer made against declaration forms during the year. The dealers eligible to file the report shall have the option to file copy of the information of Block R-10 of the CST return in Form 1 for 2012-13 provided that the information has been filed online prior to filing of the AR-1 report.

(iv) the turnover criteria demands that the dealers whose turnover is Rs.10 crores or more during 2011-12 or 2012-13 are liable to file AR-1 for the year 2012-13. However, in case the turnover during 2012-13 was less than or equal to Rs. 1 crores, such dealers shall be exempt from filing AR-1 report.

2. The AR-1 report will need to be submitted to respective ward incharge by 2nd December, 2013 for the year 2012-13.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax

4765 DG/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.